न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 54/2012 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

जीतमल आत्मज श्री रामलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरयाखेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम (प्रार्थी)

1. महेन्द्र कुमार : पिसरान स्व0 श्री प्रभाचन्द जी जैन जाति महाजन निवासी ग्राम
2. सुरेन्द्र कुमार : कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. कुसुम :
4. सुनिता :
5. अनिता :
6. कमलाबाई बेवा स्व0 प्रभाचन्द जी जैन जाति गहाजन निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैर अभिभाषक (प्रार्थी की ओर से)
2. श्री हुकमचन्द्र जैन (अप्रार्थी न02 एव 6 की ओर से)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेण्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चरल पर्पजेज) नियम 1970

निर्णय दिनांकः–24.05.2024

1 प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एलोटमेण्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चरल नियम 1970 अन्तर्गत बाबत अप्राथी के आवंटन आदेश दिनांक6.5.1976 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्राथी न 2 व 6 की ओर से अभिभाषक उपस्थित। शेष अनुपस्थित।

3 उपस्थित विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का बहस प्रार्थना पत्र में कथन है कि ग्राम बोरियाखेड़ी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 38 की 1.79 व खसरा नम्बर 43 की 0.02 कुल 1.81 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रतिपक्षी क्रम 1 लागत 7 की गैर खातेदारी में दर्ज है।उक्त भूमि का सेटलमेण्ट के पूर्व के खसरा नम्बर 11 रकबा 8 बीघा था। उक्त भूमि दिनांक 6–5–76 को आंवन्टन सलाहकार समिति मु0 गन्दीफली तहसील लाडपुरा द्वारा प्रभाचन्द आत्मज श्री कन्हैयालाल जी जैन को आवंटित की गई थी। आंवटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया

अति. जिला कलेक्टर
कोटा

की और कोई ध्यान नही दिया है कि आंवटन प्रभाचन्द सदभावी कृषक नही था। प्रभाचन्द तो एक बड़ा व्यवसायी था, जिसके आयल मिल था तथा प्रभाचन्द जीवन पर्यन्त आयल मिल चलाता रहा। आंवटी प्रभाचन्द व उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान ने आज तक उक्त भूमि को काश्त नही किया। आंवटन के पश्चात भी 10 वर्षो तक भूमि पड़त पड़ी रही जबकी आवंटी को नियम 14(3) के प्रावधानो के अनुसार आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत हिस्सा आवंटन के एक वर्ष में तथा शेष भूमि आंवटन के दूसरे वर्ष में काश्त कर लेनी चाहिए थी। किन्तु उक्त भूमि आवंटन क पश्चात 10 वर्षो तक पड़ी रही इस कारण उक्त आवंटन निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर गत 20 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने ही उक्त भूमि पर उगे हुए झाड़ झड़ेक व बम्बूलो को काट कर भूमि को समतल बनाने में काफी रूपया लग गया है और मेहनत लग गई है। वर्षो मेहनत के पश्चात भूमि अब फसल देने लगी तो आवंटी के वारिसान प्रतिपक्षीगण की भूमि को अपना बताने लगे है और भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में है। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र इस सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। आवंटी ने समय पर भूमि की कीमत भी जमा नही कराई है तथा मौके पर आज तक आवंटी को कब्जा भी नही दिया गया है। आवंटी व उसके वारिसान को उक्त भूमि पर कब्जा नही होने के कारण उनको आज तक खातेदारी अधिकार भी नही दिये गये है।अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन दिनांक 6–5–1976 बहक प्रभाचन्द जी जैन निरस्त फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक का जवाब व बहस में कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार ही विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी के पिता को किया गया है क्योकि अप्रार्थी के पिता के खाते में ग्राम बोरियाखेडी में ख0न0 11/68 की 6 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है और इसी वजह से अप्रार्थी के पिता को आवंटित हुई है उस वक्त से अप्रार्थी के पिता काबिज रहै। तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी के पिता सदभावी कृषक थे जिनके खाते में ग्राम बोरियाखेडी में ही पुराने ख0न0 11/68 की 6 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जिसका सेटलमेन्ट के बाद नवीन ख0न0 37 कायम किया गया जिस पर अप्राथीगण काबिज है। अप्रार्थीगण के पिता आवंटित भूमि पर काबिज रहे है तथा जिसकी खातेदारी दिनांक 14.02.2007 को दे दी गई है जिसका पट्टा की फोटोप्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा झूटे व मनगढन्त तथ्य अंकित किये गये है। अप्राथीगण के पिता वक्त आवंटन से ही काबिज होकर आवंटित भूमि पर काश्त करते है है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान काबिज होकर काश्त कर रहे है।आवंटित भूमि की समस्त राशि जमा करा दी गई है तथा मौके पर कब्जा भी वक्त आवंटन अप्राथीगण के पिता का ही रहा है। तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसानो का चला आ रहा है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण आवंटित भूमि के खातेदार हो गये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

6. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते है। प्रार्थी ग्राम बोरियाखेडी तहसील लाडपुरा की प्रभाचन्द्र को आवंटित भूमि गत ख0न0 11 रकबा 8 बीघा हाल ख0 38 रकबा 1.79 हेक्टर पर स्वंय का कब्जा होने का कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी प्रभाचन्द्र को अलोटमेन्ट दिनांक 6.05.1976 में हुआ था।,जो पत्रावली में सलग्न है। दखल नामा भी पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली में कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा का कमांक/तराले/आवंटन 2125 दिनांक 29.01.2007 विषय सनद जांच करने के कम में अवलोकन से आवंटी प्रभाचन्द पुत्र कन्हैयालाल का कब्जा होना बिन्दु संख्या 6 में जाहिर आया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान भू– राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा